न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुनील शर्मा, आर ए एस

वाद सं0 :— 11/2020

उनवान

1. बुन्दु खां पुत्र धोले खां उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. सिताब खां पुत्र धोले खां निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2. सलीम खां पुत्र धोले खां निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
3. गुलशन पुत्री धोले खां पत्नी अख्तर खां हाल निवासी एन.ए. पब्लिक स्कूल के पास बट्टा बस्ती जयपुर।
4. तोफन पुत्री धोले खां पत्नी रज्जाक खा हाल निवासी ताज होटल के पास बटटा बस्ती जयपुर ।
5. मुगल पुत्र स्व0 असगर खां जाति मुसलमान निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर। हाल प्लाट नं0 28 पुराना जालपुरा जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर
7. उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए—1955

निर्णय दिनांकः 6-3-2020

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। वादी के द्वारा वादपत्र पेश किया गया है कि खसरा नम्बर 5213 रकबा 1.13 है0 भूमि ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/4 की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की माता रहमत पत्नी धोले खा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खातेदार रहमत पत्नी धोले खां की मृत्यु दिनांक 18.05.2017 को हो चुकी है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है। उक्त आराजी में वादी/प्रतिवादीगण अपने हिस्सेनुसार सह खातेदार काश्तकार है उक्त आराजी का खातेदारो के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गई है ओर वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही विशिष्ट भू भाग को किसी अजनबी लठेत व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी सं0 7 के कार्यालय में अन्तरण डीड पंजीबद्व कराने तथा आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने पर आमादा है ।

दिनांक 25.01.2019 को वादी अपनी आराजी की सार सम्भाल कर रहे थे तब प्रतिवादगण आराजी मुतनाज पर 5—7 अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये और आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग क नाम जोख करने लगे तब वादीगण ने उनसे नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण वादीगण से नाराज हो गये तथा आवेश में आकर वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा एलानियां धमकी दी कि वे आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही विशिष्ट भू भाग को अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उनके पक्ष मे अन्तरण करवाकर आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर रहेगें । तथा अजनबी व्यक्ति का वादीगण को जबरन बैदखल कर आराजी के विशिष्ट भू भाग कर कब्जा करवाकर रहेगें। प्रतिवादीगण के द्वारा अजनबी व्यक्तियो को अन्तरण डीड पंजीबद्व करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीगण को आराजी मुतनाजा से जबरन बैदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवा देगें तो अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमाबाजी बढेगी । इस कारण वादीगण ने यह वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि विवादित आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज काश्त के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये कानूनी बंटवारा किये जाने की आज्ञा प्रदान करे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक पृथक लगान का निर्धारण किया जावे ।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सुचित किया गया। बावजूद सूचना के प्रवितादी सं. 1 लगा0 5 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 20 फरवरी 2020 को प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला—जयपुर) राज.

मंगवाये जाने हेतु लिखा गया तहसीलदार शाहपुरा से दिनांक 28.02.2020 को बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई वकील वादी द्वारा बंटवारा रिपोर्ट के आधार पर दावा अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस सुनी गई ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिकी किया जाकर वादीगण/प्रतिवादीगण के निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 के नाम आराजी ख0नं0 5213/2 रकबा 0.92 है0 भूमि ग्राम मनोहरपुर पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
2. प्रतिवादी सं0 3 व 4 के नाम हिस्सा 4/9 व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम हिस्सा 2/9 व वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम हिस्सा 1/3 आराजी ख0नं0 5213/1 रकबा 0.21 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6-3-2020 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनील शर्मा)
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर